

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -630/2023

अनवान : -

1. सन्तोष पत्नी सुल्तान जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. रोहिताष पुत्र सुल्तान जाति जाट साकिन ननाऊ तहसील नोहर।

-वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र सुरजाराम जाति छीम्पा (छीपी) साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र राजाराम जाति सोनी साकिन नुकेरा तहसील संगरिया।
3. प्रताप सिंह पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
4. मकबूल मोहम्मद पुत्र साहबदीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
5. मनोहर लाल पुत्र बुधराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
6. अनवर हुसैन पुत्र अस्तअली जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर।
7. कुतुबदीन पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर।
8. महबूबअली पुत्र अहमद अली जाति मुसलमान कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
9. योगेश्वरी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण साकिन नोहर तहसील नोहर।
10. रणवीर सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन गॉधीनगर तहसील रावतसर।
11. रमेश पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
12. राजपाल पुत्र रामप्रताप जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
13. राणी पत्नी किशनलाल जाति ब्राहमण साकिन असरजाना तहसील नोहर।
14. रामकिशोर पुत्र सीताराम जाति मेघवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
15. रोशनअली पुत्र साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर।
16. लक्ष्मीनारायण पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन चक राजासर तह0 नोहर।
17. शायरी देवी पुत्री रामप्रताप जाति सुथार साकिन ब्राहमणवासी तहसील नोहर।
18. सुरेश कुमार पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
19. सादक पुत्र नेकमोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
20. हरगोविन्द पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति रानियाँ साकिन नोहर तहसील नोहर।
21. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण


दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53  
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी  
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 21/11/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के खाता स0 3/3 के ख0न0 94 की 2.7700 हैक्ट वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता मुश्तरका है तथा वादीगण  दग्रस्त भूमि में अपने हक हक व हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है। मुश्तरका खाता होने के

अ  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

कारण हमेशा सीव व लगान संबंधित विवाद रहता है इसलिए वादी मुताबिक कब्जा काश्त व हक हिस्सा खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी को काफी मर्तबा कहा कि विवादित भूमि का खाता व लगान अच्छी व मंदी के हिसाब से अलग करवा लेवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 13 व 15 ता 18 व 20 को नोटिस सम्यक रूप से तामील होने के उपरान्त भी प्रतिवादी स0 1 ता 13 व 15 ता 18 व 20 उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 19 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे। वादी द्वारा जमाबंदी पेश की गई जो की शामिल मिसल किया की गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के खाता स0 3/3 के ख0न0 94 की 2.7700 हैक्ट वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के उक्त वाद भूमि का खाता प्रतिवादीगण से अलग करवाना चाहता है। अधिवक्ता प्रतिवादी स0 14 व 19 ने भी वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के खाता स0 3/3 के ख0न0 94 की 2.7700 हैक्ट वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के खाता स0 3/3 के ख0न0 94 की 2.7700 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 संतोष पत्नी सुलतान 4203/5468 , रोहिताश पुत्र सुलतान 1265/5468 जाट सा0 ननाऊ ख0न0 94/1 की 0.5468 हैक्ट बारानी प्रथम
- 2 अनवर हुसैन पुत्र अस्त अली 111/22232 मुसलमान नोहर, योगेश्वरी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण 5700/5700/22292 ब्राहमण सा0 नोहर, रणवीर सिंह पुत्र रामस्वरूप 56/22232 जाट गांधीनगर, रमेश कुमार पुत्र अमीलाल 537/22232 जाट सा0 जनानिया, राजपाल पुत्र रामप्रताप 1840/22232 जाति रानिया सा0 नोहर, राणी पत्नी किशनलाल 56/22232 ब्राहण सा0 असरजाना, रामकिशोर पुत्र सीताराम 2340/22232 मेघवाल सा0 नोहर, रोशनअली पुत्र साहबदीन 82/22232 मुसलमान सा0 नोहर, लक्ष्मीनारायण पुत्र बीरबलराम 111/22232 हि0 जाट सा0 चक राजासर, विजय सिंह पुत्र लादूसिंह 244/22232 राजपूत सा0 नोहर, कुतुबदीन पुत्र फजलदीन 1075/22232 कुम्हार सा0


al

अधिवक्ता  
नोहर

नोहर, शायरी देवी पत्री रामप्रताप 914/22232 जाति सुथार सा0 ब्राहमणवासी, सुरेश कुमार पुत्र चानणराम 111/22232 जाट सा0 भूकरका, सादक पुत्र नेक मोहम्मद 2044/22232 कुम्हार सा0 नोहर, हरगोविन्द पुत्र द्वारकाप्रसाद 950/22232 अग्रवाल सा0 नोहर, कृष्ण कुमार पुत्र राजाराम 111/22232 सोनी सा0 नुकेरा, देवीलाल पुत्र सुरजाराम 950/22232 छिम्पा सा0 भूकरका, प्रताप सिंह पुत्र चन्दूराम 320/22232 जाट सा0 रायसिंहपुरा, मकबुल मोहम्मद पुत्र साहबदीन 83/22232 कुम्हार सा0 नोहर, मंगतुराम सोनी पुत्र बनवारी लाल 243/22232 सोनी सा0 नोहर, मनोहरलाल पुत्र बुधराम 1824/22232 जाट सा0 बिरकाली, महबुब अली पुत्र अहमद अली 2530/22232 कुम्हार सा0 रायसिंहपुरा – ख0न0 94/2 की 2.2232 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 21/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या -630/2023

अनवान : -

1. सन्तोष पत्नी सुल्तान जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. रोहिताष पुत्र सुल्तान जाति जाट साकिन ननाऊ तहसील नोहर।

-वादीगण

### बनाम

1. देवीलाल पुत्र सुरजाराम जाति छीम्पा (छीपी) साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र राजाराम जाति सोनी साकिन नुकेरा तहसील संगरिया।
3. प्रताप सिंह पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
4. मकबूल मोहम्मद पुत्र साहबदीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
5. मनोहर लाल पुत्र बुधराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
6. अनवर हुसैन पुत्र अस्तअली जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर।
7. कुतुबदीन पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर।
8. महबूबअली पुत्र अहमद अली जाति मुसलमान कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
9. योगेश्वरी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण साकिन नोहर तहसील नोहर।
10. रणवीर सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन गाँधीनगर तहसील रावतसर।
11. रमेश पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
12. राजपाल पुत्र रामप्रताप जाति रानिया साकिन नोहर तहसील नोहर।
13. राणी पत्नी किशनलाल जाति ब्राहमण साकिन असरजाना तहसील नोहर।
14. रामकिशोर पुत्र सीताराम जाति मेघवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
15. रोशनअली पुत्र साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर।
16. लक्ष्मीनारायण पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन चक राजासर तह0 नोहर।
17. शायरी देवी पुत्री रामप्रताप जाति सुथार साकिन ब्राहमणवासी तहसील नोहर।
18. सुरेश कुमार पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
19. सादक पुत्र नेकमोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
20. हरगोविन्द पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति रानियाँ साकिन नोहर तहसील नोहर।
21. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 630 सन 2024 निर्णय दिनांक -21/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के खाता स0 3/3 के ख0न0 94 की 2.7700 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. संतोष पत्नी सुलतान 4203/5468 , रोहिताश पुत्र सुलतान 1265/5468 जाट सा0 ननाऊ ख0न0 94/1 की 0.5468 हैक्ट बारानी प्रथम
2. अनवर हुसैन पुत्र अस्त अली 111/22232 मुसलमान नोहर, योगेश्वरी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण 5700/5700/22292 ब्राहमण सा0 नोहर, रणवीर सिंह पुत्र रामस्वरूप 56/22232 जाट गांधीनगर, रमेश कुमार पुत्र अमीलाल 537/22232 जाट सा0 जनानिया,

 उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

राजपाल पुत्र रामप्रताप 1840/22232 जाति रानिया सा0 नोहर, राणी पत्नी किशनलाल 56/22232 ब्राह्मण सा0 असरजाना, रामकिशोर पुत्र सीताराम 2340/22232 मेघवाल सा0 नोहर, रोशनअली पुत्र साहबदीन 82/22232 मुसलमान सा0 नोहर, लक्ष्मीनारायण पुत्र बीरबलराम 111/22232 हि0 जाट सा0 चक राजासर, विजय सिंह पुत्र लादूसिंह 244/22232 राजपूत सा0 नोहर, कुतुबदीन पुत्र फजलदीन 1075/22232 कुम्हार सा0 नोहर, शायरी देवी पत्नी रामप्रताप 914/22232 जाति सुथार सा0 ब्राह्मणवासी, सुरेश कुमार पुत्र चानणराम 111/22232 जाट सा0 भूकरका, सादक पुत्र नेक मोहम्मद 2044/22232 कुम्हार सा0 नोहर, हरगोविन्द पुत्र द्वारकाप्रसाद 950/22232 अग्रवाल सा0 नोहर, कृष्ण कुमार पुत्र राजाराम 111/22232 सोनी सा0 नुकेरा, देवीलाल पुत्र सुरजाराम 950/22232 छिम्पा सा0 भूकरका, प्रताप सिंह पुत्र चन्दूराम 320/22232 जाट सा0 रायसिंहपुरा, मकबुल मोहम्मद पुत्र साहबदीन 83/22232 कुम्हार सा0 नोहर, मंगतुराम सोनी पुत्र बनवारी लाल 243/22232 सोनी सा0 नोहर, मनोहरलाल पुत्र बुधराम 1824/22232 जाट सा0 बिरकाली, महबुब अली पुत्र अहमद अली 2530/22232 कुम्हार सा0 रायसिंहपुरा - ख0न0 94/2 की 2.2232 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अन्तिम डिक्री आज दिनांक 21/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर